राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः F.20(119-III)/NHM/HR/Relocation/2020/1957 Date :– 06/10/2020

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक 45(1)प्रसु/सम/अनु–1/2018 दिनांक 15.09.2020 के अनुसार एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी, परिवारिक समस्याओं अथवा अन्य किसी ठोस कारण से आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उन्हे इच्छित स्थानो पर रिलोकेशन पॉलिसी के अनुसार रिलोकेशन करने के संबंध में CHRIS Software के माध्यम से http://www.chrisnrhm.org पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक एनएचएम कार्मिक रिलोकेशन हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन करें :–

1. आवेदक ऑनलाइन प्रारूप में अपना पूर्ण विवरण अंकित कर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।
2. रिलोकेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से किये गये आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।
3. रिलोकेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 06.10.2020 से प्रारम्भ किये जाकर दिनांक 16.10.2020 तक स्वीकार किये जायेंगे। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
4. आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उनके संविदा पद पर कार्यक्रम से संबंधित तीन इच्छित स्थानों का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।
5. यदि एक संविदा पद हेतु दो या दो से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते है तो इस संबंध में विभागीय स्तर पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।
6. रिलोकेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से किसी भी संविदा कार्मिक का रिलोकेशन/पदस्थापन हेतु अधिकार नही होगा।
7. रिलोकेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–
   I. एनएचएम की वेबसाईट http://www.chrisnrhm.org को ऑपन करें।
   II. Employee Relocation के ICON पर क्लिक करें।
   III. आवेदक अपनी CHRIS ID एवं CHRIS Software पर दर्ज मोबाइल नं0 दर्ज करें।
   IV. दर्ज मोबाइल नं0 पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें।
   V. Transfer Status का चयन करे। (Mutual Transfer/ Normal Transfer)
   VI. रिलोकेशन हेतु आवेदक के कार्यक्रम से संबंधित जिले में स्वीकृत संविदा पद अनुसार तीन इच्छित विकल्पों का चयन करें।
   VII. रिलोकेशन का कारण दर्ज करें।
   VIII. इसके पश्चात चाही गई सूचनाओं को दर्ज कर सबमिट करें।

IX. Mutual Transfer के क्रम में जिस कार्मिक के साथ रिलोकेशन चाहते हं, कि CHRIS ID दर्ज कर Accept का बटन दबावे। जिस कार्मिक के साथ रिलोकेशन चाहते हैं, उनके द्वारा उक्त आवेदन Freeze करने पर ही आवेदन पूर्ण माना जावेगा।

एनएचएम कार्मिकों को सूचित किया जाता हैं कि रिलोकेशन हेतु ऑफलाईन एवं अन्य किसी माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा तथा जिन्होंने रिलोकेशन हेतु आज दिनांक तक ऑफलाईन आवेदन कर रखा है, वे भी अपना आवेदन ऑनलाईन करें। उनके द्वारा पूर्व में किये गये ऑफलाईन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिलोकेशन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु ई–मेल आईडी helpdesk.nhmrjrelocation@gmail.com पर ई–मेल प्रेषित कर सकते है। रिलोकेशन के संबंध में उक्त ई–मेल आई.डी के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त Queries (पूछताछ) पर विचार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन रिलोकेशन मोड्यूल एवं रिलोकेशन पॉलिसी संलग्न है।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः F.20(119-III)/NHM/HR/Relocation/2020/1957 Date :– 06/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
6. निदेशक जन स्वास्थ्य/आरसीएच एनएचएम जयपुर।
7. निदेशक–वित्त, एनएचएम जयपुर।
8. विशेषाधिकारी एनएचएम जयपुर।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम, जयपुर।
10. समस्त परियोजना निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी–एचआर, एनएचएम जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक समस्त जोन राजस्थान।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय समस्त जिले।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक एनएचएम समस्त जिले।
16. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले।
17. प्रभारी सर्वर रूम संबंधित को ई–मेल कराने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम